Stamps Worth Rs ...10... Enclosed

NOTARIAL NOTARIAL

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

.....खानपुर (32) उत्तराखण्ड.....(निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

.....विधानसभा.....(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिर्टनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ–पत्र

मैं, ...सददाम हुसैन.....पुत्र/~~पुत्री~~/~~पत्नी~~ बशीर .....30 साल उत्ताल.....वर्ष, ...जो ग्राम अकबरपुर दोदकी का/की निवासी हू और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:–

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।
   (यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):–
   (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....crime No 273 सन 10
   (ii) पुलिस थाना (थाने) ~~[illegible]~~ कोटवाली लक्सर जिला (जिलें) हरिद्वार.....राज्य उत्तराखण्ड
   (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है.....
   अधारा 353 504-506 323.2 P.C.
   (iv) न्यायालय , जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई.....
   नहीं
   (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गये थे.....नहीं.....
   (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं.....नहीं.....
2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

सददामहुसैन

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :– दोष सिद्ध नहीं

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है.....

(iii) पुलिस थाना (थाने).....जिला (जिलें) .....
.....राज्य.....
....

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है 504,506-323.353 IPC P/S नेगलौर

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे कोई नहीं

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं..... कोई नहीं

स्थान रुड़की
तारीख 12-1-12

सद्दामहुसैन
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूं कि इस शपथ–पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

रुड़की स्थान पर आज तारीख 12-01-12 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर
सद्दामहुसैन

IDENTIFIED BY
बृज भूषण
एडवोकेट
जि० नं० 1410/01 4294/04
जिला कोर्ट रुड़की (हरिद्वार)

टिप्पणी :– इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नही हैं, काट दिये जायें।

ATTESTED & VERIFIED
Rajendra Pershad Sharma
Advocate & Notary
Distt. Haridwar (U.A.)
12/01/12

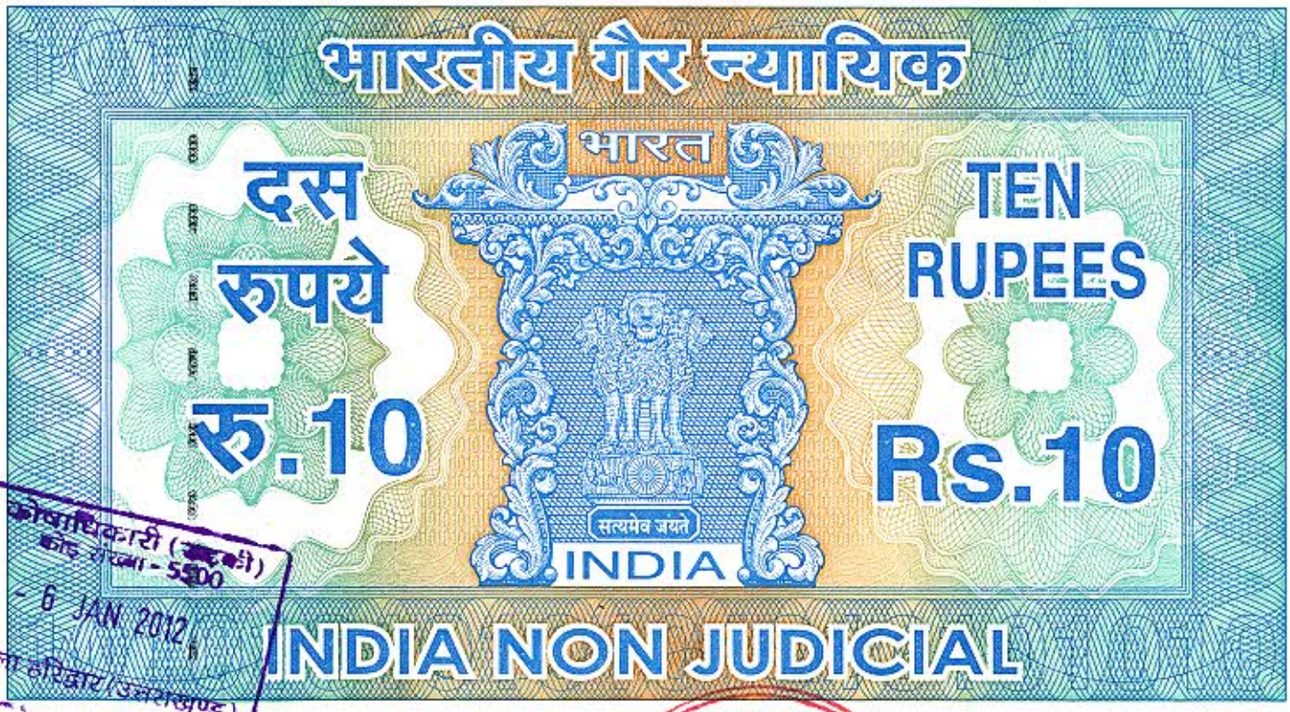

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषाधिकारी (खजाना)
कोड संख्या - 5500
- 6 JAN 2012
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

13AA 613269

नोटरी भारत सरकार
R.P. Sharma
Advocate/Notary
Laksar
Distt.-Haridwar
Regd. No. 1867/2001
NOTARY GOVT. OF INDIA

12/01/12

सददामहुसैन

बृ. भूषण
एडवोकेट
जि० नं० 1410/01 4294/04
सिविल ... (हरिद्वार)